कार्यालय नगर परिषद, पाली (राज.)

(लालबहादुर शास्त्री टाउन हॉल, सूरजपोल के पास, पाली-मारवाड़ राज. पिनकोड-306401)
(टेली-फेक्स-02932-221301, ई-मेल cmcpali@yahoo.co.in, वेब-साईट: www.mcpali.com)

दिनांक:- 01-06-2023

क्रमांक: प. 18 ( ) अग्नि / 2023 / 2618....

--:: अनापत्ति प्रमाण पत्र ::--

प्रेषित:- सर्वयोग इन्टरनेशनल स्कूल,
सोनेला, रेवदर, मण्डार

विषय:- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

प्रसंग:- आपके पत्र के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि **सर्वयोग इन्टरनेशनल स्कूल, सोनेला, रेवदर, मण्डार** के स्थान का मौका निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्निशमन सुरक्षा हेतु स्कूल में लगे अग्निशमन यंत्र व्यवस्थित सही एवं चालू हालत में पाये गये आवश्यकता पड़ने पर इन अग्निशमन यंत्रों को उपयोग मे लिया जा सकता है। उक्त बिल्डिंग को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तो पर पाबन्द करते हुए यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा।
2. एक वर्ष के पश्चात् अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
3. स्कूल के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्ड को वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
4. स्कूल में लगे अग्निशमन यंत्रों को हमेशा चालू हालत में रखना होगा।
5. अग्निशमन यंत्रो को समयावधि में रिफिलिंग करवाने होंगे।
6. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 x 7 घण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखना होगा।
7. स्कूल का अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत (चालू हालत) नहीं पाये जाने की स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जायेगा।
8. यदि राज्य सरकार/परिषद् द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
9. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि में मान्य होगा।
10. स्कूल में पानी का टैंक ऊपर व नीचे बनाना होगा जिसका कनेक्शन उच्च हॉस पॉवर मोटर के साथ पर्याप्त पाईप लगाना होगा।
11. स्कूल में साईन (सिंगल) बोर्ड लगाने होंगे।
12. स्कूल का एक वर्ष अग्निशमन अधिकारी द्वारा निरीक्षण करवाना होगा।
13. स्कूल में आने व जाने के लिये रास्ता खुला रखना होगा।
14. स्कूल में वाहनों को रखने के लिए पार्किंग व्यवस्था रखनी होगी।
15. स्कूल में व्यवस्थापक को आपातकालीन स्थिति में बिजली (जनरेटर) की व्यवस्था रखनी होगी।
16. स्कूल में आपात सेवाओं के दूरभाष नम्बर व धुम्रपान निषेध का साईन बोर्ड लगाना होगा।
17. स्कूल के व्यवस्थापक को हॉस्पीटल के मानचित्र अनुसार के अलावा और निर्माण कार्य करने से पूर्व राज्य सरकारी/परिषद् द्वारा/अग्निशमन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
18. प्रस्तावित सर्वयोग इन्टरनेशनल स्कूल, सोनेला, रेवदर, मण्डार को बिन्दु सं. 1 से 17 तक की पालना करनी होगी।

सहायक अग्निशमन अधिकारी
सहायक अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, पाली
नगर परिषद, पाली